

(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III, खंड- 4 में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 122

नई दिल्ली,

28 अप्रैल, 2010

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 48 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा, इंटरनेशनल सीपोर्ट्स (हाल्दिया) प्राइवेट लिमिटेड के वर्तमान दरमान की वैधता संलग्न आदेशानुसार विस्तारित करता है।

(रानी जाधव)

अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएमपी/37/2005-आईएसएचपीएल

आ दे श

(मार्च 2010 के 31 वें दिन पारित किया गया)

यह प्रकरण इंटरनेशनल सीपोर्ट्स (हाल्दिया) प्राइवेट लिमिटेड (आईएसएचपीएल) के वर्तमान की वैधता के विस्तार से संबंधित है।

2. आईएसएचपीएल का वर्तमान दरमान इस प्राधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 25 जनवरी 2007 द्वारा 31 मार्च 2009 की वैधता के साथ अनुमोदित किया गया था। दरमान की वैधता पिछली बार दिनांक 23 अक्टूबर 2009 के आदेश द्वारा 31 मार्च 2010 तक बढ़ाई गई थी।
3. आईएसएचपीएल द्वारा दाखिल (वर्तमान) प्रस्ताव को प्रशुल्क प्रकरण के रूप में पंजीकृत किया गया है और सामान्य परामर्शी प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। इस प्राधिकरण द्वारा अंतिम विचार विमर्श के लिए प्रस्ताव को परिपक्व होने में अभी कुछ और समय लगेगा।
4. जैसाकि वर्तमान दरमान की वैधता 31 मार्च 2010 को समाप्त हो रही है और यह प्राधिकरण आईएसएचपीएल के वर्तमान दरमान की वैधता 30 सितंबर 2010 तक अथवा इसके प्रशुल्क के सामान्य संशोधन के लिए आईएसएचपीएल के प्रस्ताव पर पारित किए जाने वाले आदेश के क्रियान्वयन की प्रभावी तिथि तक, इनमें से जो भी पहले हो विस्तारित करता है।
5. 1 अप्रैल 2010 के बाद वाली अवधि में, ग्राह्य लागत और अनुमेय प्रतिलाभ से अधिक यदि कोई अतिरिक्त अधिशेष उभरता है तो ऐसा अधिशेष इसके निष्पादन की समीक्षा के समय, निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूरी तरह समायोजित किया जाएगा।

(रानी जाधव)

अध्यक्ष